

(भारत के राजपत्र के भाग-1, खण्ड II में प्रकाशनार्थ)

सं. 13017/11/2017-अ.भा.से.-1


भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,

दिनांक: 26 मई, 2017

अधिसूचना

भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 5 के उप-नियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा सिक्किम राज्य सरकार और गृह मंत्रालय की सहमति से केंद्र सरकार, एतद्वारा श्री शाश्वत सौरभ, आईएएस (एस.के.:2016) का सुश्री सौम्या, आईएएस (एजीएमयूटी-2014) के साथ विवाह होने के आधार पर सिक्किम संवर्ग से एजीएमयूटी संवर्ग में स्थानांतरण करती है।



(उदय भान सिंह)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष : 011-23094142

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

फरीदाबाद (हरियाणा)